क्रम संख्या–86 (ज)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 मई, 2016 ई0

ज्येष्ठ 05, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–4

संख्या 270 / XXX(4) / 2016–04(7) / 2016

देहरादून, 26 मई, 2016

अधिसूचना

प0 आ0–80

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 233 सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

"उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढा जाना

2. उत्तरांचल न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में, जहां–जहां शब्द "उत्तरांचल" आया है वहां–वहां वह शब्द "उत्तराखण्ड" पढा जायेगा।

नियम 25 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग में पदोन्नति उस संवर्ग में विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग में सेवा के सदस्यों में से की जायेगी।	(1) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पदों पर पदोन्नति सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) में से विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा की जायेगी।
(2) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी।	(2) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पदों पर पदोन्नति सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के अधिकारियों में से जिनकी सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के रूप में पांच वर्ष की सेवाएं हो, ज्येष्ठता सह श्रेष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर न्यायालय द्वारा की जायेगी।
(3) पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पात्रता का क्षेत्र पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के चार गुणा तक सीमित होगा।	(3) पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पात्रता का क्षेत्र पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तक सीमित होगा।
(4) मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा मनोनीत कोई अन्य माननीय वर्तमान न्यायाधीश उप नियम (4) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित अधिकारियों के अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे जो उनकी राय में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग में पदोन्नति के योग्य है। अभ्यर्थियों की योग्यता के मूल्यांकन में मुख्य न्यायमूर्ति अथवा मनोनीत वर्तमान न्यायाधीश इस प्रयोजन हेतु उनके सेवा अभिलेख, योग्यता, चरित्र तथा ज्येष्ठता का सम्यक् रूप से ध्यान रखेंगे। उक्त सूची में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों के दुगुनी संख्या में अधिकारियों के नाम सम्मिलित होंगे।	(4) मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा गठित समिति अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित आधार पर मूल्यांकन करेंगे:– **(क)** अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा पारित निर्णय – 25 अंक **(ख)** उनकी अंतिम पांच वर्षों की गोपनीय आख्याओं का मूल्यांकन – 75 अंक वार्षिक चरित्र पंजिकाओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनायी जायेगी:– उत्कृष्ट – 15 अंक अति उत्तम – 11 अंक उत्तम – 8 अंक अच्छा/संतोषजनक/औसत – 6 अंक जो 100 अंकों में 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, वरिष्ठता के आधार पर उनके मामलों में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जिन्हें दण्ड दिया गया हो, दण्ड दिये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए ज्येष्ठता–सह–श्रेष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर पदोन्नति और चयन के लिए विचार में नहीं लिये जायेंगे। यद्यपि ऐसे अधिकारी जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, को विचार में लिया जायेगा किन्तु उनका परिणाम सीलबन्द लिफाफे में एक वर्ष अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अध्यधीन जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(5) मुख्य न्यायमूर्ति अथवा मनोनीत वर्तमान न्यायाधीश द्वारा उप नियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची न्यायालय के समक्ष रखी जायेगी। न्यायालय सिफारिशों का परीक्षण करेगा, पदोन्नति के लिए अंकित चयन करेगा और उन अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के कम में सूची तैयार करेगा जो पदोन्नति के योग्य समझे जायें तथा रिक्तियों में पदोन्नति पूर्णतः उक्त सूची के अनुसार की जायेगी। उक्त सूची सभी अभ्यर्थियों को पदोन्नत किये जाने और सूची के समाप्त होने तक प्रवृत्त रहेगी।

(5) मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा गठित समिति अधिकारियों की विगत पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्र आख्या का मूल्यांकन और निर्णयों का आंकलन करने के पश्चात् जो उसके या उनकी राय में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त है, की एक सूची तैयार करेंगे। सूची में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा अपेक्षित भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के दोगुने अधिकारियों के नाम होंगे।

(6) उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची को मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा गठित समिति द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। न्यायालय संस्तुतियों का परीक्षण करेगा और पदोन्नति के लिए अंतिम चयन करेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की वरिष्ठता के कम में सूची तैयार करेगा, जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जायेंगे उनकी पदोन्नतियॉ उक्त सूची के अनुसरण में ही रिक्तियों के अनुरूप की जायेगी। सूची तब तक प्रभाव में रहेगी जब तक सभी रिक्तियां भर न दी जायें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 270/XXX(4)/2016-04(7)/2016,** Dehradun, dated May 26, 2016 for general information:

No. 270/XXX(4)/2016-04(7)/2016
Dated Dehradun, May 26, 2016

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Article 233 read with proviso to Article 309 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to make the following Rules in view to further amend the Uttranchal Judicial Service Rules, 2005;

The Uttarakhand Judicial Service (Amendment) Rules, 2016

Short title and commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Judicial Service (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

"Uttranchal" to be read has "Uttarakhand" 2. The Uttranchal Higher Service Rules, 2005 (herein after referred to as Principle rules), in the words "Uttranchal" occurs shall be read as "Uttarakhand".

Amendment of rule 25 3. In rule 25 of the principle rules as set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing Rule**	**Column- 2** **Rule hereby substituted**
(1) The promotion to the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be made by the Court from amongst the Civil Judge (Junior Division), keeping in view the existing vacancies in that cadre.	(1) The promotion to the post of Civil Judge (Senior Division) shall be made by the Court from amongst the Civil Judge (Junior Division), keeping in view the existing vacancies.
(2) The promotion to the post of Civil Judge (Senior Division) shall be made by selection on the basic of Seniority- cum-merit.	(2) The promotion to the post of Civil Judge (Senior Division) shall be made by the Court from amongst the officers of Civil Judge (Junior Division) having minimum 5 years of service as Civil Judge (Junior Division) on the basis of principle of seniority-cum-merit.
(3) The field of eligibility for promotion shall be confined to four times the number of vacancies to be filled by promotion.	(3) The field of eligibility for promotion shall be confined to three times the number of vacancies to be filled up by promotion.

(4) The Chief Justice or any other Hon'ble sitting Judge nominated by the Chief Justice shall after examining the records of the officers included in the list referred to in sub rule (4), prepare a list of the candidates who, in his opinion, are fit to be promoted to the post of Civil Judge (Senior Division). In assessing the merit of the candidates, the Chief Justice or the nominated sitting judge for the purpose shall have due regard to his service record, ability, character and seniority, the list shall contain the names of the officers twice the member of vacancies required to be filled by promotion from the members of the Civil Judge (Junior Division).

(4) The Chief Justice or committee constituted by the Chief Justice while assessing the merit of eligible candidates shall evaluate them on the basis of-

(a) Judgments delivered by the eligible candidates– 25 marks

(b) Evaluation of their ACRs for the last 5 years- 75 marks,

The marking pattern for evaluation of ACRs shall be as follows:-

Outstanding	:	15
Very Good	:	11
Good	:	8
Fair/satisfactory/Average	:	6

Those who out of 100 marks have secured 50 marks or more, shall be considered for promotion to the post of Civil Judge (Senior Division) on the basis of their seniority;

Provided that a Judicial officer, who has been awarded penalty, shall not be considered for promotion and selection on the basis of seniority-cum-merit for three years from the date of award of penalty. However, such officer, who is facing disciplinary action, shall be considered but his result shall be kept in sealed cover for one year or subject to the final outcome of the disciplinary proceeding, whichever is earlier.

(5) The list to be prepared under sub rule (4) by the Chief Justice or the nominated sitting judge shall be placed before the Court. The Court shall examine the recommendations and make a final selection for promotion and prepare a list in order of seniority of the candidates, who are considered fit for promotion and the promotion shall be made in the vacancies strictly in accordance with the said list. The list shall remain operative till all the vacancies are filled.

(5) The Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice after evaluation of judgments and evaluation of ACRs for the last 5 years of the officers shall prepare a list of the officers, who, in his or in their opinion, are fit to be promoted to the post of Civil Judge (Senior Division). The list shall contain the names of the officers twice the numbers of vacancies required to be filled up by promotion from the members of the Civil Judge (Junior Division).

(6) The list to be prepared under sub-rule (5) by the Chief Justice or the Committee constituted by the Chief Justice shall be placed before the Court. The Court shall examine the recommendations and make a final selection for promotion and prepare a list in order of seniority of the candidates, who are considered fit for promotion and the promotion shall be made in the vacancies strictly in accordance with the said list. The list shall remain operative till all the vacancies are filled up.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 कार्मिक/304–2016–100+50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।